

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

// महत्वपूर्ण सूचना //

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.) द्वारा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी(चौकीदार-04 पद, वॉटरमेन-05 पद एवं स्वीपर-05 पद) के कुल 14 पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्राप्त आवेदनों के अवलोकन उपरांत, साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु प्रथम दृष्टया पात्र पाये गये आवेदकगण की सूची, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर के अनुमोदन पश्चात् आवेदकों की जानकारी हेतु कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर के शासकीय वेबसाईट पर अपलोड की जा चुकी है तथा उक्त विभिन्न पदों पर आवेदकों का साक्षात्कार निम्नानुसार दिनांक 01.05.2024 से 05.05.2024 तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर(छ.ग.) में आयोजित किया जाना है -

क्र.	आवेदित पद का नाम	दिनांक एवं समय	आवेदकों के अनुक्रमांक
1	स्वीपर	दिनांक 01.05.2024 को प्रातः 09 से 11:00 बजे तक ।	अनुक्रमांक-01 से 180 तक ।
		दिनांक 02.05.2024 को प्रातः 09 से 11:00 बजे तक ।	अनुक्रमांक-181 से 393 तक ।
2	चौकीदार	दिनांक 03.05.2024 को प्रातः 09 से 11:00 बजे तक ।	अनुक्रमांक-01 से 250 तक ।
		दिनांक 04.05.2024 को प्रातः 09 से 11:00 बजे तक ।	अनुक्रमांक-251 से 502 तक ।
3	वॉटरमेन	दिनांक 05.05.2024 को प्रातः 10:00 बजे से साक्षात्कार समाप्ति तक ।	अनुक्रमांक-01 से 588 तक ।

यदि उक्त परीक्षा की तिथि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना पृथक से कार्यालय के वेबसाईट के माध्यम से दी जाएगी ।

आवेदकगण का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा जिस पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उस पद हेतु नियत साक्षात्कार तिथि को आवेदक के आबंटित अनुक्रमांक के अनुसार उपस्थित होने पर उसका साक्षात्कार लिया जावेगा । आवेदक के अनुक्रमांक अनुसार साक्षात्कार हेतु नियत तिथि से भिन्न

कृ.पू.उ.

तिथि पर उपस्थित होने पर, उसका साक्षात्कार किसी भी परिस्थिति में नहीं लिया जावेगा ।

साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकगण अपने साथ प्रधान जिला न्यायालय जशपुर के शासकीय वेबसाईट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर, अपनी पहचान के संबंध में दस्तावेज यथा- आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, चालन अनुज्ञप्ति अथवा कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र इत्यादि साथ लेकर साक्षात्कार तिथि को नियत समय से एक घंटा पूर्व उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे ।

यदि किसी कारणवश नियत तिथि को साक्षात्कार लिया जाना संभव नहीं होता है तो उक्त तिथि पर लिये जाने वाले साक्षात्कार, चयन समिति द्वारा नियत की जाने वाली आगामी तिथि पर लिये जावेंगे । साक्षात्कार पर उपस्थित होने वाले आवेदकगण अपने रहने, भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करेंगे ।

स्थान- जशपुर ।
दिनांक-26.04.2024

सही/-
(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जशपुर(छ.ग.)